न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

उपस्थितः– श्री संजीव सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 384 / 2026

विमला देवी एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड सं0 531 / 2025

अंतर्गत धारा 137(2), 140(3) बी. एन. एस.।

16.03.2026

अभियुक्त **विमला देवी एवं विपीन कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार एवं सूचक के निजी अधिवक्ता श्री मणि भूषण का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 24.11.25 को सूचक की पुत्री प्रिती कुमारी सुबह 11:00 बजे बाजार गई थी जो देर शाम तक घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने पर पता चला कि कारू तांती, गोविंद कुमार एवं विपीन कुमार ने मिलकर बहला–फुसलाकर उनकी पुत्री प्रिती को भगा ले गया है। जब उनके घर जाकर सूचक की पत्नी बोली तो पूरे परिवार गाली–गलौज करने लगा तथा बोला कि केश करोगे तो जान से मार देगे पहले मोबाईल से बात करता था तो आपलोग नहीं जानते थे।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण को झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदकगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का अभियोग बनता प्रतीत नहीं होता है । पीड़िता बरामद हो चुकी है तथा बी0एन0एस0एस0 की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दिये गये बयान में उसने कथन किया है कि वह अपनी मर्जी से बिना घर में बताए चली गई थी। उभय पक्षों के बीच आपस में सुलह हो गया है। संधि अनुमति आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । अतः इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त आवेदन का विरोध करते हैं तथा यह भी स्वीकार करते हैं कि उभयपक्षों के बीच संधि–समझौता हो गया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा संबंधित विचारण न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि पीड़िता बरामद हो चुकी है तथा अपने बी0एन0एस0एस0 की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दिये गये बयान में पीड़िता ने कथन की है कि वह अपनी मर्जी से बिना घर में बताए चली गई थी। यह भी विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच आपस में सुलह हो गया है। आवेदकगण द्वारा समझौता के आलोक में संयुक्त संधि आवेदन दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर मौजूद है। जिस पर दोनों

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

उपस्थितः– श्री संजीव सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम –सह विशेष न्यायाधीश,बिहारशरीफ, नालन्दा ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 384 / 2026

विमला देवी एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

हरनौत थाना कांड सं0 531 / 2025

अंतर्गत धारा 137(2), 140(3) बी. एन. एस.।

लगातार

16.03.2026

पक्षों के हस्ताक्षर है। संधि हो जाने से उभय पक्षों के बीच अच्छा संबंध स्थापित हो गया है । सूचक तथा पीड़िता न्यायालय में उपस्थित हैं तथा संधि की बातों का समर्थन करते है तथा आवेदकगण के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं करते है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन, आवेदकगण को 10,000 / – रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
बिहारशरीफ, नालन्दा ।